संख्या-18/2017/743/क.नि.प्र./26-3-2017-18(65)98

प्रेषक,

सुधा श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त,2017
समाज कल्याण विभाग

विषय:- सचिवालय स्तर पर गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु वेतन,भत्तों आदि की स्वीकृति वर्ष 2017-18

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 के परिप्रेक्ष्य में शासन स्तर पर गठित शासन स्तर पर गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के अधिष्ठान पर होने वाले व्यय को वहन करने के लिए आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80 में प्राविधानित धनराशि रू0 59.04 लाख (रू0 उनसठ लाख चार हजार मात्र) में से पूर्व में शासनादेश संख्या-5/2017/329/क0नि0प्र0/26-3-17-18(64)/98 दिनांक 25 अप्रैल,2017 द्वारा रू0 30,06,246/- (तीस लाख छ:हजार दो सौ छियालिस मात्र) की धनराशि निर्गत की गयी थी। अब अवशेष उपलब्ध रू0 **28,97,754/-** (रू0 अट्ठाइस लाख सत्तानबे हजार सात सौ चौवन मात्र) की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

धनराशि निम्नानुसार कालम-4 के अनुसार उल्लिखित मदों में व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मद	आय-व्ययक प्राविधान	पूर्व में निर्गत धनराशि (रूपये में)	अवशेष निर्गत की जा रही धनराशि (रूपये में)
1	2	3	4
01-वेतन	45,26,000	24,08,333	21,17,667
03-मंहगाई भत्ता	2,72,000	1,20,416	1,51,584
04-यात्रा व्यय	35,000	14,583	20,417
06-अन्य भत्ते	3,10,000	1,29,166	1,80,834
07-मानदेय	12,000	5,000	7,000
08-कार्यालय व्यय	65,000	27,083	37,917
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	65,000	27,083	37,917
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1,35,000	56,250	78,750
45-अवकाश यात्रा व्यय	60,000	25,000	35,000
49-चिकित्सा व्यय	60,000	41,666	18,334
51- वर्दी व्यय	15,000	6,250	8,750
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	3,49,000	1,45,416	2,03,584
योग-	59,04,000	30,06,246	28,97,754

(रू0 अट्ठाइस लाख सत्तानबे हजार सात सौ चौवन मात्र)

2- उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-80-समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793-अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता-04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान" की सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या–8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

पृ.संख्या-18/2017/743(1)/क.नि.प्र./26-3-17 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2-महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-अनुभाग अधिकारी, लेखा,समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन।

5-वित्त (व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-3, उ.प्र.शासन।

6-सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन,लखनऊ।

7-एन.आई.सी. की प्रति।

8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधा श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।